अनुदान संख्या 7 – औषध निर्माण विभाग
GRANT No. 7 - DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	230,45,00	230,46,00	227,11,32	-3,34,68
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,36,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5,06,00	333,18,00	333,15,00	-3,00
पूरक	Supplementary	328,12,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹336.00 लाख) कुल बचतों (₹334.68 लाख) से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹336.00 lakhs) exceeded the overall savings (₹334.68 lakhs).

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	3642.00	..	..	..
पु.	R.	-3642.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	17988.00			
पू.	S.	1.00	21341.00	21341.69	+0.69
पु.	R.	3352.00			

(I) ₹3642.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹3640.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "रसायन और औषध निर्माण उद्योग – राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)" के अंतर्गत – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर इस्तेमाल के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹3642.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹3640.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Chemicals and Pharmaceuticals Industries - National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत – "रसायन और औषध निर्माण उद्योग – औषधि और औषध निर्माण" – बचतें निम्नालिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries - Drugs and Pharmaceuticals" - savings occurred under the following heads:-

(का) "औषध निर्माण उद्योग का विकास" – ₹500.24 लाख की बचत (₹829.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Development of Pharmaceuticals Industry" - saving of ₹500.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹829.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "जन औषधि (पीएमबीजेपी)" – ₹648.00 लाख की बचत (₹4199.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और कम प्रस्ताव प्राप्ति होने के कारण हुई।

(B) "Jan Aushadhi (PMBJP)" - saving of ₹648.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4199.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and receipt of less proposals.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4640.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसाकि मुख्य शीर्ष "2852" – "रसायन और औषध निर्माण

2. The above savings were partly (₹4640.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament

उद्योग – औषधि और औषध निर्माण – राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)" के अंतर्गत मार्च, 2020 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2020 under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceuticals Industries - Drugs and Pharmaceuticals - National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹3.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित किया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads and was eventually surrendered.